THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

प्रस्तावना / उद्देशिका
(Preamble)

→ उद्देश्य प्रस्ताव ⇒ 13 Dec. 1946 → पेश
Objective Resolution ⇒ 22 Jan. 1947 ⇒ स्वीकार

→ प्रस्तावना का स्त्रोत ✓
Source of Preamble

⇒ विचार (Idea) ⇒ अमेरिका / USA
⇒ भाषा (language) ⇒ आस्ट्रेलिया / Australia

⇒ प्रस्तावना → संविधान की आत्मा
Soul of constitution ⇒ अनुराग ठाकुर भार्गव दास

⇒ न्यायाधीश (Judge) एम० हिदायतुल्ला

⇒ राजनीतिक जन्मपत्री
Political Horoscope ⇒ के० एम० मुंशी

⇒ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी - अर्नेस्ट बेकर

⇒ प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र (Introduction of Constitution)
‖
एन० ए० पालकीवाला

सामान्यतया प्रत्येक अधिनियम का आरम्भ उद्देशिका से होता है जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।* Generally, every Act begins with a Preamble which mentions its main ideals and aspirations.*

भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी (Key) है। The Preamble of the Indian Constitution is the key to knowing the thoughts of the Constitution makers.

भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जबकि प्रस्तावना का विचार U.S.A. के संविधान से ग्रहण किया गया है/The source of the Preamble of the Indian Constitution of the Preamble presented by Pt. Jawahar Lal Nehru in the Constituent Assembly on 13 December 1946 and accepted on 22 January 1947. The language of the Preamble has been taken from the Constitution of Australia while the idea of the Preamble has been taken from the Constitution of the USA.

42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में 'समाजवादी और पंथनिरपेक्ष' शब्द तथा छठें पैरा में 'और अखण्डता' शब्द जोड़ा गया।*The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 amended the Preamble by adding the words 'Socialist and Secular' in the first paragraph and the words 'and Integrity' in the sixth paragraph.*

प्रस्तावना (Preamble) में कितनी बार संशोधन ? ⇒ एक बार
⇓
एक बार ⇒ 1976 (42वां CA 1976) ⇒ शब्द जोड़े → ① समाजवाद
② पंथनिरपेक्ष
③ अखण्डता।

समाजवाद (Socialist)
पंथनिरपेक्ष (secular)
अखण्डता (Integrity)
> शब्द जोड़े गये 1976

→ प्रस्तावना में 26 Jan 1950 को कौन से शब्द नहीं थे?
→ 42वें CA 1976 द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना जोड़े गये?
⇒ 42 CA 1976 ⇒ लघु संविधान (Mini constitution) कहते हैं।

क्योंकि संविधान में बहुत से परिवर्तन इसी संशोधन द्वारा किये गये हैं।

क्या उद्देशिका संविधान का अंग है?

Is the Preamble a part of the Constitution?

इन री बेरूबारी (1960) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि- In the case of In re Berubari (1960), the Supreme Court held that-

1. उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो किन्तु यह संविधान का अंग नहीं है। *The Preamble may be the source of inspiration for the Constitution but it is not a part of the Constitution.*

⇒ अंग नहीं हैं।

⇒ संसद (Parliament) ⟶ Amended only the Part of Constitution.

केवल संविधान भागों में संशोधन

अंग

किन्तु केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए यह मत दिया कि-

But in the case of Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973), the Supreme Court reversed its earlier decision and gave the opinion that-

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973
↳ Supreme Court → अपना निर्णय बदल दिया।
↳ प्रश्न? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है?
हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है।

1. उद्देशिका संविधान का एक भाग है। * संविधान में उसका वही भाग स्थान है जो अन्य उपबन्धों का है। * The Preamble is a part of the Constitution. * It has the same part in the Constitution as other provisions. *

2. उद्देशिका में संशोधन (मूलभूत ढाँचे के अलावा) किया जा सकता है।

Amendments can be made in the Preamble (apart from the basic structure).

Q ⇒ मूलभूत ढाँचे (Basic structure) का प्रयोग Supreme court ने किस case में किया ?

⇒ S. Court संसद से कहा कि तुम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती हो लेकिन मूलभूत ढाँचे का उल्लंघन न हो।

↓

Basic structure of constitution voilation ✗

↳ मूलभूत ढाँचा संविधान में परिभाषित नहीं।

↓

न्यायिक निर्णय (judicial judgement)

⇒ मूलभूत ढाँचा क्या है?

↓

S. Court ने कहा कि यह मैं समय-समय पर बताऊँगा कि मूलभूत ढाँचा क्या है।

न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम् पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है।

Justice Hidayatullah has called the Preamble the soul of the Constitution in the case of Golaknath vs. State of Punjab.

Ref.

प्रस्तावना। - संविधान की आत्मा

अनुराग ठाकुर भार्गव दास

के. एम. मुंशी ने उद्देशिका को 'राजनीतिक जन्मपत्री' (Political Horoscope) संज्ञा प्रदान की है। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि, "संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधार शिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका।

K.M. Munshi has called the Preamble a 'political horoscope'. Subhash Kashyap has underlined the importance of the Preamble and said, "If the Constitution is the body, then the Preamble is its soul. If the Preamble is the foundation stone, then the Constitution is the building built on it.

हम भारत के लोग We the People of India

उद्देशिका का आरम्भ 'हम भारत के लोग' (We, the People of India) शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत- भारत की जनता है। वही समस्त शक्तियों का केन्द्र बिन्दु है।

The Preamble begins with the words 'We, the People of India'. This means that the original source of the Constitution is the people of India. They are the center point of all powers.

V => SC/ST
VI => ST

Q => प्रस्तावना का आरंभ किस शब्द होता है?
Q => संविधान का मूल स्रोत क्या है?